

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०३ जनवरी दिसम्बर, 2025

विषय: यू०पी०एस०डी०एम०ए० के निर्माणाधीन भवन में ई०ओ०सी० के संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1167क/रा०आ०प्र०प्रा०/2024-25 दिनांक 04.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड-1, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र दिनांक 04-12-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गए आगणन के अनुसार यू०पी०एस०डी०एम०ए० के निर्माणाधीन भवन में ई०ओ०सी० के संचालन हेतु निम्नवत तालिकानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि रु० 14,73,54,490/- उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव को अप्रेजल कमेटी की बैठक में समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

Item	Total Cost (Contengency+Labour Cess+Supervision+ GST)
Furniture	5,75,20,699.08
Gap funding for making SDMA and SIDM building functional such as interior works etc.	2,36,00,037.58
Audio-Visuals Works (Conference Room, Class Room-1,2,3 Meeting Room, Briefing Hall, Lecture Hall, Auditorium)	4,53,56,306.00
Structured Cabling System Passive	18,42,035.30
Local Area Network (LAN)	98,51,923.34
Wi-Fi Systems & Web Securities	27,41,494.94
IP CCTV System	64,41,994.06
Total Amount	14,73,54,490

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 04.12.2024 को सम्पन्न अप्रेजल कमेटी की बैठक की संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 20-12-2024 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में यू०पी०एस०डी०एम०ए० के निर्माणाधीन भवन में ई०ओ०सी० के संचालन हेतु उपरोक्त तालिकानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी

विल्डिंग मद-11 से धनराशि ₹0 14,73,54,490/- (चौदह करोड़ तिहतर लाख चौवन हजार चार सौ नब्बे) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0एस0डी0एम0ए0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्त/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0एस0डी0एम0ए0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
 - (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
 - (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
 - (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0एस0डी0एम0ए0 का होगा।
 - (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
 - (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
 - (8) राज्य आपदा मोचक निधि के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।
- 3-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 14,73,54,490/- (चौदह करोड़ तिहतर लाख चौवन हजार चार सौ नब्बे) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

Shailendra Mani Tripathi

Date: 07-01-2025 14:00:48

अनु सचिव।

संख्या:-2044(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

- 2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-09/01/2025

प्रेषण संख्या:- 2044
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2044
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	147354490 904760602	147354490 904760602
	योग	वर्तमान प्रगामी	147354490 904760602	147354490 904760602

महायोग- (वर्तमान रूपया चौदह करोड़ तिहत्तर लाख चौवन हजार चार सौ नब्बे
आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नब्बे करोड़ सैंतालीस लाख साठ हजार छः सौ दो


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत वित्त एवं लेखाधिकारी
उत्तर प्रदेश।